

17/2/16

वकील जयों एक प्राची स्वयं हाजिर नहीं। अशर्याजिग की और
से कोई हाजिर नहीं उन्हें 5 वेग अदालत उठने तक सावधि
दिलाई गई परन्तु उनकी और से कोई भी अदालत उपस्थित
नही आया वह एकदम हादम हाजिरी हादम पैटकी में खरिज
किया जाता है। पत्रावली कैलल शुभर होकर जबर से कम
हो बाद तकरील 4 फतर दारिखल हो।

जयसण्ड अधिकारी
बसु (अजमेर)

